न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 44/2011 (2011/00030)

सज्जन सिंह पुत्र श्री देवीलाल सोलंकी जाति दरोगा निवासी ग्राम पिपलाज तहसील केकडी जिला अजमेर।
---वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सावर जिला अजमेर।
-- प्रतिवादी

थत:-
श्री बद्रीविशाल दाधिच –वादी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.5.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. रेवेन्यू के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

ा संख्या –पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
–773	2268	1.35हैक्टर	बारानी–2

उपरोक्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर सम्वत् 2041 के 1302 है तथा सम्वत 2022 से 2025 के खसरा र 1129 व 1131 है वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2268 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1302 थे के पुराने खसरा नम्बर सम्वत 2022 से 2025 के खसरा नम्बर 1129 व 1131 थे। उपरोक्त खसरा नम्बर ादी को 1129 में 4 बीघा व 1131 में 10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि दिनांक 06.1.1966 को आवंटन की जिसका राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण भी वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 485/69 खोला गया ा उपरोक्त वाद वर्णित भूमि का राजस्व जमाबन्दी में वादी के नाम अमल दरामद कर दिया गया। जब से वादी वाद वर्णित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है तथा उपरोक्त आराजीयात ी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है जिसमें किसी अन्य दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार वास्ता व सरोकार नही है वाद वर्णित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी वादी के कब्जे काश्त में ते आ रही है लेकिन वाद वर्णित आराजी को दौराने सेटलमेन्ट के दो अलग–अलग खसरा नम्बरो में ाजन करके आराजी खसरा नम्बर 2269 को तो वादी के नाम दर्ज कर दी गई तथा आराजी खसरा नंबर 68 को सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त आराजी वादी की 6.1.1966 की ावंटनशुदा आराजी है जिस पर वादी का दिनांक 6.1.1966 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित ाराजी को दौराने वर्किंग जमाबन्दी में भी वादी के नाम आवंटन की गई भूमि के नामान्तरकरण का अमल रामद नही किये जाने पर वादी ने एक राजस्व मुकदमा 34/96 ब उनवान सज्जनसिंह बनाम राजस्थान रकार श्रीमान उपखण्ड न्यायालय केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वादपत्र में भी वाद र्णित भूमि को वादी की खातेदारी की भूमि मानी गई है लेकिन उपरोक्त भूमि का अमल दरामद रिकोर्ड में दौराने वाद हो जाने से वादी का उपरोक्त दावा की प्रार्थना की पालना पूर्व में हो जाने से दावा खारिज कर दिया गया। लेकिन दौराने सेटलमेन्ट के उपरोक्त वाद वर्णित आरजी के दो अलग–अलग खसरा नम्बर 2268 व 2269 बना दिये तथा खसरा नंबर 2269 को वादी के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नंबर 2268 को सरकारी भूमि में दर्ज कर दिया गया है जो कतई गलत होने से दुरूस्त होने काबिल है वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 10.9.2009 को जब उत्पन्न हुआ जब वादी के पास धारा 91 का नोटिस तहसील कार्यालय से आया तब वादी ने हल्का पटवारी व तहसील कार्यालय में उपरोक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

राजी वादी को आवंटनशुदा आराजी होने के दस्तावेज पेश किये लेकिन तहसीलदार ने उपरोक्त भूमि वायचक दर्ज होने से पुनः दावा प्रस्तुत करने का कथन किया तव से उत्पन्न हुआ व दिन प्रतिदिन पन्न हो रहा है अतः वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को रये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी जर्ये पैरोकार सरकार द्वारा जवाव पेश किया जिसे शामिल पत्रावली या गया। जवाब सरकार निम्नानुसार हैः—

संवत् 2022 से 25 की जमाबंदी के खसरा नंवर 1129 में से 4 वीघा व 1131 मे से 10 वीघा नामा. सं. 485 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल सोलंकी के नाम दर्ज हुआ तथा जमा. संवत 2041 के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नंबर 1302 में भी नाम. सं. 485 दिनांक 13.8.1969 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल सोलंकी गैर खातेदार 4 व 10 बीघा दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंवर 1302 मी. 1.35हैक्टर के नवीन खसरा नंबर 2268 रकवा 1.35हैक्टर सज्जनसिंह वल्द देवीलाल के नाम दर्ज न होकर सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नंबर 1302 मी. 0.91हैक्टर के नवीन खसरा नंवर 2269 रकवा 0.91हैक्टर सज्जनसिंह वल्द देवीलाल जोवरी खातेदार दर्ज है अतः आंशिक स्वीकार है।

वादी द्वारा कब्जा काश्त सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर विंदु संख्या 2 अस्वीकार है।

बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है।

दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है।

बिन्दुं संख्या 6 अस्वीकार है।

बिन्दु संख्या 7 स्वीकार है।

बिन्दु संख्या 8 न्यायालय के क्षेत्राधिकार है।

बिदुं संख्या 9 भी न्यायालय के सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 10 मे भूमि सिवायचक दर्ज होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना अनुचित है। अतः अस्वीकार है तथा वादी का दावा खारिज योग्य बताया।

ाब दावा प्रस्तुत होने के बाद तनकीयात कायम कि गई जो निम्नानुसार हैः—

कीयात

1. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी दिनांक 6.1.1966 को 14 बिघा आवंटन शुदा आराजी होने से वादी घोषणा कराने व रेकोर्ड सुधार कराने का हक रखता है।(वादी)
2. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवायचक होने से वादी का दावा खाजिज होने योग्य है।(प्रतिवादी)
3. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि संसोधन के बाद पुनः आवंटन हो चुकी होने वर्तमान में इस खसरे में आवंटन से शेष भूमि नही होने से वादी का दावा चलने योग्य है।(प्रतिवादी)

शहादत वादी मे वादी की ओर से गवाह सज्जनसिंह पी.डब्ल्यू—1 व रामदेव पी.डब्ल्यू—2 के शपथ पत्र ा किये। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श—1 जमाबंदी संवत् 2065—68, प्रदर्श—2 जमाबन्दी र्केग संवत् 2041, प्रदर्श—3 जमाबन्दी संवत् 2022—25, प्रदर्श—4 मिलान क्षेत्रफल , प्रदर्श—5 जमाबन्दी वत् 2065—68, प्रदर्श—6 एस.डी.ओ केकडी का मु.संख्या 34/87 सज्जनसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक .4.1996 व अन्य दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

नकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः—

तनकी संख्या 1 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त अराजी दिनांक 6.1.1996 को 14 बीघा आवंटन ुदा आराजी होने से वादी घोषणा कराने व रेकॉर्ड सुधार कराने का हक रखता है के प्रश्न में देखा गया के जवाब सरकार जर्ये तहसीलदार सावर ने अपने जवाब दावा मे बताया कि संवत् 2022 से 25 की जमाबंदी के खसरा नंबर 1129 में से 4 बीघा व 1131 मे से 10 बीघा नामा. सं. 485 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल सोलंकी के नाम दर्ज हुआ तथा जमा. संवत 2041 के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नंबर 1302 में भी नाम. सं. 485 दिनांक 13.8.1969 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल सोलंकी गैर खातेदार 4 व 10 बीघा दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंबर 1302 मी. 1.35हैक्टर के नवीन खसरा नंबर 2268 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर सज्जनसिंह वल्द देवीलाल के नाम दर्ज न होकर सिवायचक दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर
मी. 0.91हैक्टर के नवीन खसरा नंबर 2269 रकबा 0.91हैक्टर सज्जनसिंह वल्द देवीलाल जोवरी
दार दर्ज होना प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया है। अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के
तय कि जाती है।

ी संख्या 2 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवायचक होने से वादी का दावा
ज होने योग्य है। के प्रश्न में देखा गया उक्त आराजी जमाबंदी संवत् 2022 से 25 की जमाबंदी के
ा नंबर 1129 में से 4 बीघा व 1131 मे से 10 बीघा नामा. सं. 485 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल
की के नाम दर्ज हुआ तथा जमा. संवत 2041 के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नंबर 1302 में भी नाम.
85 दिनांक 13.8.1969 द्वारा सज्जनसिंह पुत्र देवीलाल सोलंकी गैर खातेदार 4 व 10 बीघा दर्ज है।
मेंट अधिकारीयो द्वारा उक्त खसरा नंबर 2268 रकबा 1.35हैक्टर सज्जनसिंह वल्द देवीलाल के नाम
न होकर सिवायचक दर्ज हो गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर
–1 जमाबंदी संवत् 2065–68, प्रदर्श–2 जमाबन्दी वर्किंग संवत् 2041, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत्
–25, प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल , प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2065–68, प्रदर्श–6 एस.डी.ओ केकडी का
ख्या 34/87 सज्जनसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 4.4.1996 व अन्य दस्तावेज पेश किये। अतः
ी संख्या 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती हैं।

ी संख्या 3 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि संसोधन के बाद पुनः आवंटन हो चुकी होने वर्तमान
त खसरे में आवंटन से शेष भूमि नही होने से वादी का दावा चलने योग्य है या नही के प्रश्न में वादी
शपथ पत्र कर बताया कि उक्त खसरा नंबर 1129 में 4 बीघा व 1131 में 10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि
क 6.1.1966 को आंवटन की गई जिस पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है उपरोक्त
जीया वादी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है अतः तनकी संख्या–4 वादी के पक्ष में
ादी के विरूद्व तय की जाती है।

पक्षकारान की **बहस** सुनी गई।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान, व
ावेजात का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. टिनेन्सी एक्ट
धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का दावा डिग्री वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वादी को
र्णित आराजीयात ग्राम पिपलाज तहसील सावर के खाता संख्या नया–पुराना 842–773 खसरा नंबर
3 रकबा 1.35हैक्टर किस्म बारानी–2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आश्य का
री पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. सज्जन सिंह पुत्र श्री देवीलाल सोलंकी जाति दरोगा निवासी ग्राम पिपलाज तहसील केकडी जिला अजमेर।

———वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सावर जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,89राज.टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 44 / 2011 (2011 / 00030)
निर्णय दिनांकः— 26.5.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 ण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री बद्रीविशाल दाधिच वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये ीलदार सावर हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है वादी को र्णित आराजीयात ग्राम पिपलाज तहसील सावर के खाता संख्या नया—पुराना 842—773 खसरा नंबर 3 रकबा 1.35हैक्टर किस्म बारानी—2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आश्य का री पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.5.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

ओहदा

मुदई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	.....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	.....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील	.....			महनताना वकील	.....		
खर्चा गवाहान.	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर.	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	.....			बाबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफरिक	.....	———	———	मुतफरिक	.....	———	———
मीजान		0	0	मीजान		0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner